

Email

2/4/17

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-6/निदे०(PTGS)-31-02/2017-

14

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 02.06.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आदिम जनजातियों (PTGS) के संरक्षण सह विकास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि एवं विमुक्त राशि के विरुद्ध Goatery-Breeding-cum-Goat rearing unit (Black Bengal 10+1) के लिए 154.09 लाख (एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार रु०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- अनु० जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपबंधित राशि से मांग सं०-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष -02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-0202-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-पी०एफ०एम०एस० कोड-TSP 1-विपत्र कोड-44-2225021020202- विषय शीर्ष 0202.33.01-सब्सिडी मद में कुल ₹154.09 लाख विकलनीय होगा।

3- इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी होंगे।

4- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का नियमानुसार व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मंत्रालय के पत्रांक-11022/16/2012-NGO- दिनांक-31.03.2017 द्वारा स्वीकृत 154.09 लाख के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 154.09 लाख की स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है। इस राशि से गया, नवादा एवं कैमूर जिला के विरहोर,परहिया, कोरबा तथा बांका जिला के भाल पहाड़िया आदिम जनजाति (PTGS) के परिवार को लाभान्वित किया जायेगा।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

7- भारत सरकार,जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्रांक 11022/16/2012-NGO- दिनांक-31.03.2017 तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। विषयांकित योजना के अन्तर्गत राशि का व्यय किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। नाबार्ड के पत्र सं०-CPD/892 P/P-17-18/2016-17 दिनांक 21.06.2016 में निहित निदेश के आलोक में राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।


8- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की विषयांकित योजना के आलोक में राशि का व्यय किया जाय, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ली गयी योजनाओं एवं लाभान्वितों का डूप्लीकेशन न हो।

9-स्वीकृति प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ० - /टि० पर प्राप्त है।


10-संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।


(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक -6/निदे०(PTGS)-31-02/2017- 14 पटना, दिनांक- 02.06.17
प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/निदे०(PTGS)-31-02/2017- 14 पटना, दिनांक- 02.06.17

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित/उपविकास आयुक्त/उप निदेशक(मु०)/ संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक,कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/अवर सचिव/सहायक निदेशक (क०)/लेखा शाखा/बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6(डी०) /8(डी०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक 6/निदे०(PTGS)-31-02/2017- 14 पटना, दिनांक- 02.06.17
प्रतिलिपि :-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-11022/16/2012-NGO- दिनांक-31.03.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में गया, नवादा, कैमूर जिला के विरहोर, कोरवा, परहिया एवं बांका जिला के माल पहाड़िया आदिम जनजाति (पी0टी0जी0एस0)के संरक्षण सह विकास योजना के तहत स्वीकृत राशि की विवरणी

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला का नाम	सामाजिक आर्थिक सर्वे 2013 के अनुसार विरहोर, कोरवा, परहिया एवं माल पहाड़िया परिवारों की संख्या	स्वीकृत युनिट	गोदरी ब्रिडिंग कम गोद रियरिंग युनिट स्वीकृत राशि @75000/- per unit
1	गया	479	82	61.84
2	नवादा	181	31	23.25
3	कैमूर (भमुआ)	253	43	32.25
4	बांका	69	49	36.75
	कुल योग	982	205	154.09

(एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार रु0 मात्र)

Ary
7.6.12
सरकार के सचिव

पत्रांक 14 दिनांक 02.06.17 का अनुलग्नक